सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

मैनुअल–8

बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि, क्या उन बोर्डो परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।

(A statement of the Boards, Councils, Committees and other Bodies consisting of two more persons constituted as its part or for the purpose of its advise and as to whether meeting of those Boards, Councils, Committees and other Bodies are open to the public or the minutes of such meeting are accessible for public)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के

परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, परिषद समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।

(A Statement of the Boards, Councils, Committees and Other Bodies Consisting of Two or More Persons Constituted as its Part or for the Purpose of its Advise,and as to Whether Meeting of those Boards, Councils, Committees and Other Bodies are Open to the Public or the Minutes of Such Meeting are Accessible for Public)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड की बैठकों में लिये गये निर्णय/कार्यवृत्त पर जनता की पहुँच होगी। विवरण निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत है :–

1– संस्था का नाम एवं पता

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोडा ।

2– संबद्व संस्था का प्रकार

" बोर्ड "

3– संबद्व संस्था की संक्षिप्त परिचय

स्थापना वर्ष 11 फरवरी, 2004

<u>उद्देश्य</u> –

- ☞ उत्तराखण्ड क्षेत्र में पर्वतीय जनपदों में चाय की खेती वैज्ञानिक पद्धति से करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण संस्था के माध्यम से करना ।
- ☞ यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चाय की खेती के लिए वैज्ञानिक तरीके से नयी उन्नत किस्म की प्रजातियों के प्लान्टिंग मेटेरियल विकसित कर इस क्षेत्र में चाय विकास करने के लिए कृषकों एवं उद्यमियों को उपलब्ध करवाना ।
- ☞ चाय की खेती को जैविक खेती के रूप में विकसित करने के लिए सर्वेक्षण करना एवं उसका प्रचार–प्रसार कर स्थानीय कास्तकारों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करना।
- ☞ पुराने बागान जो विलुप्त हो चुके है/हो रहे है, का जीर्णोद्वार कर इन बागानों में नयी किस्म की प्रजातियों से पौधा रोंपण कर, इन बागानों को सुदृढ़ करना।
- ☞ स्थानीय कास्तकारों एवं निजी उद्यमियों को चाय विकास के संबंध में वैज्ञानिकों, मैनेजरो एवं सुपरवाईजरों की सेवाऐं उपलब्ध कराना।
- ☞ इस क्षेत्र में चाय की खेती को अधिक बढ़ावा देकर अधिक से अधिक उत्पादन करना और उन्नत किस्म की चाय का उत्पादन कर इसकी अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- ☞ स्थानीय कास्तकारों के सहयोग से स्वयं सहायता समूह गठित कर निजी उद्यमियों को आमंत्रित कर इस क्षेत्र में चाय के विकास को बढ़ावा देना।
- ☞ स्थानीय लोगों की स्वयं के प्रयोग हेतु तथा जो कृषक चाय की खेती करना चाहते है, उनका 50 प्रतिशत की सब्सीडी देकर उन्नत किस्म का प्लान्टिंग मेटेरियल उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना।
- ☞ भारतीय चाय बोर्ड एवं अन्य संस्थाओं से दी जाने वाली सहायता के संबंध में समन्वय स्थापित कर समुचित सहायता उपलब्ध करना।
- ☞ चाय की स्थानीय रूप से खेती कर स्थानीय रूप से उन्नत किस्म की चाय उपलब्ध करना।
- ☞ स्थानीय कास्तकारों को चाय के संबंध में चाय की खेती करने के लिए प्रशिक्षित करना।

- ☞ समय–समय पर किये गये शोध एवं विकास के संबंध में बागान मालिको को शोध कार्यो की जानकारी उपलब्ध कराना।
- ☞ संस्था में हो रहे शोध कार्य तथा अन्य कार्य कलापों की सूचना तथा देश–विदेश में हो रहें चाय विकास में रूचि रखने वाले जनसाधरण के लिए समाचार पत्रिका, लघु पुस्तिका, विज्ञान पत्र आदि का प्रकाशन करना।
- ☞ व्यवसायियों, कृषकों तथा वैज्ञानिकों आदि के मध्य संपर्क कर सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय स्थापित करना।
- ☞ बोर्ड द्वारा की जाने वाली चाय की कृषि, तकनीकी आदि तथा बीज, पौध आदि का प्रसार कृषकों तक करना तथा कृषकों एवं चाय की खेती में रूचि रखने वाले नवयुवकों को चाय की कृषि तथा चाय से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देना।
- ☞ उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के रेखाचित्र ,छायाचित्र, वीडियों फिल्म आदि तैयार कर इन्हें लेखपत्र, सूचना, प्रसार तथा प्रशिक्षण हेतु प्रयोग करना।
- ☞ चाय विकास पर संगोष्ठी, सेमिनार कार्यशाला, आदि आयोजित करना जिसकी सहायता से वैज्ञानिक तथ्य तथा अन्य सूचनाओं का आदान–प्रदान करने हेतु वातावरण तैयार किया जा सके।
- ☞ देश–विदेश के प्रशिक्षणार्थियों को चाय विकास का प्रशिक्षण देना, जिसमें चाय विकास से सम्बधित वैज्ञानिक आयाम जुडे हों।
- ☞ संस्था के सभी उद्देश्य कल्याणकारी होगें, व्यवसायिक नही होगें।

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के मुख्य कृत्य :–

उत्तराखण्ड की चाय का विश्व बाजार में कहीं नाम नहीं था। लेकिन विगत कुछ वर्षो में उत्पादित चाय को कोलकता ऑक्शन हाऊस के माध्यम से विदेशों को भी विक्रय किया जा रहा है। विदेशों में उत्तराखण्ड चाय की गुणवत्ता को अधिक सराहा जा रहा है जिससे दिन प्रतिदिन चाय की माँग बढती जा रही है। उत्तराखण्ड की चाय का विश्व बाजार देखते हुए कुछ निजी उद्यमी उत्तराखण्ड में चाय बागान स्थापित करने हेतु उत्सुक है। अभी तक चाय विकास कार्यक्रम से लगभग 4000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम से वृहत रोजगार प्राप्त हो रहा है। जिसमें 60–70 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित होने से यहाँ पर टी टूरिज्म/पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है और क्षेत्र से पलायन रूका है तथा महिला सशक्तिकरण को बल मिला है।

4– सम्बद्व संस्था की भूमिका प्रबन्ध परिषदः– बोर्ड की नीतियाँ एवं कार्यक्रम प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

5– स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2– सचिव/अपर सचिव, उद्यान उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4– सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5– भारतीय चाय बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6– निदेशक, चाय शोध, गो0ब0पं0 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उधमसिंह नगर	सदस्य
7– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मिशन, उत्तराखण्ड	सदस्य
8– राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
9– निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड	सदस्य सचिव
10– चाय के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव/ज्ञान युक्त दो व्यक्ति जो श्री राज्यपाल द्वारा नामित किये जाए–गैर सरकारी	सदस्य

6– मुख्य अधिकारी/निदेशक का नामः– श्री महेन्द्रपाल

7– मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पतेः–

☞ मुख्य कार्यालयः– कार्यालय निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोडा–263601 दूरभाष नं. 05962–237746, 230606 ई–मेलः **uttarakhandtea@rediffmail.com**
वैब साईट–**www.utdb.uk.gov.in**

☞ बागान स्तर के कार्यालयः– प्रबन्धक, चाय बागान कौसानी, ग्रा0–वलना, पो0 कौसानी, गरूड़, जिला– बागेश्वर। दूरभाष नं. 05962–258056, मो. 7500061926 ई–मेल– managerkausani@gmail.com

प्रबन्धक, चाय बागान नौटी, कोलियाणा बैंण्ड, पो0–गैरसैंण (चमोली) मोबाईल– 9411192126 ई–मेलः nautitea.state@gmail.com

प्रबन्धक, चाय बागान चम्पावत, पो0 दुधपोखरा, जिला–चम्पावत मोबाईल नं.–9410714027 ई–मेलः managercpt@gmail.com

प्रबन्धक, चाय बागान, घोडाखाल जिला नैनीताल दूरभाष– 05942– 220110 मो0न0–9410714027 ई–मेल mangr.gkltea@rediffmail.com

सहायक प्रबन्धक, चाय बागान धौलादेवी, आरतोला, जिला–अल्मोड़ा मो0न0– 9411265970 ई–मेल dhauladeviteaestate@gmail.com

सहायक प्रबन्धक, चाय बागान डीडीहाट, थल, जिला–पिथौरागढ़ मो0न0– 9568261972 ई–मेलः keshar.utdb@gmail.com

8– बैठक की आवृत्ति :– वर्ष में चार बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाती हैं।

9– क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ? :– नही

10– क्या बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ? :– हाँ

11– क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हाँ तो प्रकिया का विवरण :– बैठक का कार्यवृत्त मुख्यालय स्तर से नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है।